FEROZE GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAEBARELI

(An Unit of Raebareli Polytechnic Association, Raebareli)
Approved By A.I.C.T.E.,New Delhi & Affiliated with U.P.Technical University, Lucknow

Ref: - FGIET/61689 /RBL/2020-21

Date: 19-08-2020

सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के अर्ह छात्र–छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन के संबंध में अत्यावश्यक सूचना

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वे छात्र–छात्राएं जिनके पिता/अभिभावक की आय रू 02.00 लाख वार्षिक से कम है, के वर्ष 2020–21 में शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 01 अगस्त 2020 से प्रारम्भ है।

अतएव बी.टेक. एवं एम.सी.ए. में अध्ययनरत सभी अर्ह छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे उ0प्र0 शासन की **वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in** से आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर उसके सभी बिन्दुओं को भली प्रकार से पढ़ने के उपरान्त ही स्वयं आनलाइन आवेदन पत्र भरें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। **स्वयं आनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां प्रत्येक छात्र–छात्रा को डाउनलोड करना है तथा जिनमें से दो प्रतियां सभी संलग्नकों सहित अपने निम्न विभागीय लिपिक के पास जमा करना है तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखना आवश्यक है।**

क्रम	लिपिक का नाम	ब्रांच
1.	श्री शिव प्रसाद	सी. एस.
2.	श्री सुनील द्विवेदी	एम. ई. / एयरो. इंजी.
3.	श्री विनय पांडेय	एम.सी.ए./ ई. सी.

कोई भी अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी दशा में जमा नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना आवश्यक है।

बी.टेक. प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं हेतु	बी.टेक. द्वितीय वर्ष (लेटरल इंट्री) के छात्र–छात्राओं हेतु
1.हाई स्कूल अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 2.इन्टरमीडिएट अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 3.यदि अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के बाद कोई गैप रहा है तो उससे संबंधित शपथ पत्र।	1.हाई स्कूल अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 2.इन्टरमीडिएट अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। 3.इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा बी.एस सी. की अंकतालिका की छायाप्रति। 4.यदि अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के बाद कोई गैप रहा है तो उससे संबंधित शपथ पत्र।

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल इंट्री) के छात्र–छात्राओं हेतु

1.हाई स्कूल अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.इन्टरमीडिएट अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3.बी.सी.ए./बी.एससी. उत्तीर्ण अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.यदि अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के बाद कोई गैप है तो उसका शपथपत्र।

बी0 टेक0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष एवं एम.सी.ए. द्वितीय, तृतीय वर्ष के सभी अर्ह छात्र–छात्राओ हेतु–

1.हाई स्कूल अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.इन्टरमीडिएट अंकतालिका एंव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
3.गतवर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा की इंटरनेट से डाउनलोड की गयी अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र–छात्राओं को लगाना अनिवार्य है–

1. जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **निवास प्रमाण पत्र** की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. उ0प्र0राजस्व परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **आय प्रमाण पत्र** की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. उ0प्र0राजस्व परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **जाति प्रमाण पत्र** की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. उ0प्र0राजस्व परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को अनुबंध पत्र **(रू0 100/–** के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) निर्धारित प्रारूप पर।
8. सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं को अनुबंध पत्र **(रू0 10/–**के स्टाम्प पेपर पर) निर्धारित प्रारूप पर।
9. सभी वर्ग के छात्र–छात्राओं द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र **(रू010/–**के स्टाम्प पेपर पर) निर्धारित प्रारूप पर।
10. छात्र–छात्रा के पिता/माता/संरक्षक छात्र–छात्रा के पिता/संरक्षक का किसी नौकरी/सरकारी नौकरी में न होने का **(रु0 10/–**के स्टाम्प पेपर पर) शपथ पत्र।
11. पचहत्तर प्रतिशत से कम उपस्थिति की दशा में शुल्कप्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति वापस करने व कानूनी कार्यवाही किए जाने के संदर्भ में **(रु010/–**के स्टाम्प पेपर पर) शपथ पत्र।
12. निर्धारित प्रारूप पर सभी छात्र–छात्रा के पिता/माता/अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला **(रु0 10/–**के स्टाम्प पेपर पर) शपथ पत्र।
13. सभी छात्र–छात्रा द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र (सादे कागज पर) पर निर्धारित प्रारूप पर।
14. सभी छात्र–छात्रा द्वारा देय संस्थान में नियमित उपस्थिति रहने का शपथ पत्र (सादे कागज पर)
15. सभी छात्र–छात्रा द्वारा देय संस्थान में अनुशासित रहने का शपथ पत्र (सादे कागज पर)
16. सभी छात्र–छात्रा द्वारा देय वर्तमान निवास के सम्बन्ध में शपथ पत्र (सादे कागज पर)
17. सत्र 2020–21 में शुल्कप्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु यदि पिता का आय प्रमाण पत्र छात्र–छात्रा के भाई/बहन द्वारा भी प्रयोग में लाया गया है, तो उसके सम्बन्ध में बचनबद्धता (सादे कागज पर)
18. सत्र 2020–21 में शुल्कप्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु यदि पिता का आय प्रमाण पत्र छात्र–छात्रा के भाई/बहन द्वारा भी प्रयोग में लाया गया है, तो छात्र को अपने भाई/बहन द्वारा भरे गये छात्रवृत्ति हेतु आनलाइल आवेदन की प्रति भी लगाना अनिवार्य है।
19. संस्थान के पूर्ण शुल्क भुगतान रसीद/बैंक चालान की स्वप्रमाणित छायाप्रति (सभी रसीदों की छायाप्रतियां)।
20. छात्रावास के पूर्ण शुल्क भुगतान रसीद/बैंक चालान की स्वप्रमाणित छायाप्रति (सभी रसीदों की छायाप्रतियां)।
21. राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र–छात्राओं द्वारा खोले गये बैंक बचत खाते के बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
22. आनलाइन आवेदन पत्र में **छात्र को आधार कार्ड संख्या भरना** एंव उसकी छायाप्रति लगााना अनिवार्य है।
23. आनलाइन आवेदन पत्र में **छात्र के माता/पिता का आधार कार्ड संख्या भरना** एंव उसकी छायाप्रति लगााना अनिवार्य है।
24. नवीनीकरण छात्र–छात्राओं को विगत सत्र 2019–20 का छात्रवृत्ति का आनलाइन Status की प्रति भी लगाना अनिवार्य है।
25. द्वितीय, तृतीय एंव चतुर्थ वर्ष के छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय (AKTU) का पंजीयन क्रमॉक (Enrollment No.) भरना एंव सम्बन्धित डाकूमेन्ट (जिसमें पंजीयन क्रमॉक अंकित हो)की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

नोट– छात्रवृत्ति एंव शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन के साथ पूर्ण शुल्क भुगतान की रसीद लगाना अनिवार्स है अन्यथा संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारित नही किया जायेगा।

निदेशक

FEROZE GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAEBARELI
(An Unit of Raebareli Polytechnic Association, Raebareli)
Approved By A.I.C.T.E.,New Delhi & Affiliated with U.P.Technical University, Lucknow

Ref: FGIET/61688/RBL/2020-21 Date:10-08-2020

सत्र 2020–21 शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन हेतु दिशा–निर्देश

1. नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र–छात्राएं (जिन्होंने गतवर्ष में इस संस्थान से आवेदन किया था) केवल नवीनीकरण छात्र के रुप में ही आवेदन कर सकेंगे।
2. 01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक आवेदन करने वाले एंव 02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित हुये सही नवीनीकरण के छात्र–छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा में शामिल किया जायेगा। नवीनीकरण के अवशेष छात्रों को आवेदन पत्र भरने के लिये 05 नवम्बर 2020 तक का समय दिया जायेगा।
3. छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाईनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में ऑनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। (यह मुख्य रुप से आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमॉक की प्रविष्टि में त्रुटि हाईस्कूल के रोल नंबर की प्रविष्टि में त्रुटि से संम्बन्धित होगी)
4. **अतएव यह आवश्यक है कि निर्धारित अंतिम तिथि के कम–से–कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र अपने ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण कर लें, ताकि यदि कोई त्रुटि होती है, तो उसे सुधारने का अवसर फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके। यदि छात्र–छात्रा से आनलाइन आवेदन करते समय कोई त्रुटि होती है, तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**
5. यह भी व्यवस्था की जा रही है कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लॉगिन पर **दिनॉक 11 दिसम्बर से 21 दिसम्बर 2020 तक** प्रदर्शित किया जायेगा और आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। तदुपरांत छात्र अपने संशोधित आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर वांछित अभिलेखों सहित शिक्षण संस्थान में 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम **दिनॉक 24 दिसम्बर 2019** तक जमा कर सकेंगे।
6. वर्ष 2020–21 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में **"आधार नंबर"** तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नंबर के साथ–साथ **"एनरोलमेंट नंबर"** भरना अनिवार्य है।
7. **यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।**
छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रुप में छात्रवृत्ति एंव शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तित करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
8. यदि किसी छात्र को जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति प्रदान की गयी है और यह पाया जाता है कि छात्र ने उस पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया है, तो छात्र को छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी।
यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस दशा में उस पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया जाना माना जायेगा और छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली विभाग द्वारा की जाएगी।
9. छात्र–छात्रा मोबाइल नम्बर एंव ई–मेल आईडी स्वयं की ही दें।
10. आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का प्रतीक्षा न करें।
11. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति / आय प्रमाण पत्र क्रमॉक तथा हाईस्कूल / इन्टरमीडिएट के रौल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (**Submit**) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें। **शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा।**
12. बचत बैंक खाता संख्या एंव **IFSC** कोड भरने में Fifth Digit जीरो **(0)** और ओ **(O)** अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। (Fifth Digit जीरो **(0)** ही होगी)
13. **अनिवार्य वार्षिक नान रिफन्डेबिल शुल्क के कालम में संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।**
14. यदि पिता का आय प्रमाण पत्र शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति आवेदन हेतु छात्र–छात्रा के भाई / बहन द्वारा भी प्रयोग में लाया गया है, तो उसके सम्बन्ध में बचनबद्धता प्रारुप भर कर आवेदन की हार्डकापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निदेशक